

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2011/2025

1. Ramdev S/o Lt. Shri Gopi, Aged About 32 Years, R/o Village Raghunathpura, Police Station Kishangarh, District Ajmer (Raj).
2. Rami W/o Sh. Ramdev, R/o Village Raghunathpura, Police Station Kishangarh, District Ajmer (Raj).

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Binja S/o Sh. Bhoma, Aged About 73 Years, R/o Village Raghunathpura, Tehsil Kishangarh, Police Station Kishangarh, District Ajmer (Raj).
3. Kishan Singh S/o Lt. Sh. Gopi, R/o Village Raghunathpura, Police Station Kishangarh, District Ajmer (Raj).

-----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Akshat Chaudhary
For Respondent(s)	: Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

08/04/2025

विद्वान् निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या— 12/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 एवं विद्वान् विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या— 81/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 से अपने आपको व्यथित महसूस करते हुए धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह याचिका याचीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान् अधिवक्ता याचीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में याचीगण/अभियुक्तगण को आक्षेपित आदेश दिनांक 18.02.2025 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत संबंधित निगरानी न्यायालय द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 को अपास्त किया गया तथा निगरानी में याचीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश संबंधित विचारण न्यायालय को प्रदान किए थे। उनका तर्क है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2022 के द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यापत्ति याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था और उक्त अभ्यापत्ति याचिका को रिवीजन के जरिए संबंधित न्यायालय अर्थात् न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर में चुनौती दी गई थी और आक्षेपित आदेश द्वारा संबंधित निगरानी न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को याचीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए गए हैं। याचीगण/अभियुक्तगण को उक्त गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश विधि अनुरूप नहीं हैं। यदि विचारण न्यायालय याचीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत मामला बनना पाता है, तब ऐसी स्थिति में याचीगण/अभियुक्तगण को सम्मन से आहूत किया जाना चाहिए था, परंतु निगरानी न्यायालय ने अपने अधिकार से परे जाकर याचीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के निर्देश संबंधित विचारण न्यायालय को दिए हैं। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 को संशोधित करते हुए याचीगण/अभियुक्तगण को सम्मन से आहूत किया जाए। इस संदर्भ में विद्वान् अधिवक्ता याचीगण/अभियुक्तगण द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 270/2024 Kamlesh Kumar Bajia Vs State of Rajasthan & Ors. निर्णय दिनांक 29.11.2024 राजस्थान उच्च न्यायालय का अवलंब लिया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह वस्तुस्थिति अभिलेख पर है कि प्रथमतः याचीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई थी, उसमें अनुसंधान के उपरांत पुलिस द्वारा नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तदुपरांत संबंधित न्यायालय के समक्ष परिवादी ने अभ्यापत्ति याचिका प्रस्तुत की और उक्त याचिका को प्रकरण में याचीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनना पाया जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

उत्तरोत्तर उक्त आदेश को संबंधित निगरानी न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा चुनौती दी गई और आक्षेपित आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा संबंधित निगरानी न्यायालय द्वारा याचीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के निर्देश विचारण न्यायालय को दिए गए हैं तथा तदुपरांत विचारण न्यायालय द्वारा याचीगण/अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी अधिपत्र से आहूत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में याचीगण/अभियुक्तगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को तत्पर हैं।

मेरे विनम्र मत में संबंधित न्यायालय द्वारा याचीगण/अभियुक्तगण को सीधे गिरफ्तारी अधिपत्र से आहूत करना विधि अनुरूप नहीं है। संबंधित न्यायालय को याचीगण/अभियुक्तगण को सम्मन या जमानतीय वारंट से तलब किया जाना चाहिए था तथा यदि उसकी अवज्ञा प्रकट होती, तो ही गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जा सकता था, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में यह मामला नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निर्णीत की जाती है कि याचीगण/अभियुक्तगण संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष पृथक्-पृथक् अपने व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत होने पर संबंधित विचारण न्यायालय उन्हें जमानत पर आजाद करेगा। याचीगण/अभियुक्तगण इस संदर्भ में संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2025 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर उक्त आदेश अनुसार पृथक्-पृथक् अपने व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करेंगे।

परिणामतः निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 एवं विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 को याचीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

उक्त याचिका उपरोक्तानुसार निर्णीत की जाती है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J